

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

दुर्गा vs जमना, अपील अन्तर्गत धारा 225 प्रकरण संख्या 58/2025
RTA

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

अतः प्रद्वर अपील विधिक रूप से मियाद
बाहर होने के कारण अपीलकर्ता की विलम्ब
माफी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपीलकर्ता की अपील का मियाद बाहर होने
के ख्यातीज फामाये। अतः फावली बाहे निर्णय
है दिनांक 06.2.26 को पेय है।

अति जिला कलक्टर
शाहपुरा

06.2.25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता प्रदर्शनी उप.। पत्रावली
का आलोचन किया गया। वसंत दाहवेजा एवं अधिवक्ता
प्रदर्शनी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा-5
पार्टीमा अधिनियम के अधार पर विलम्ब माफी चाही गयी
परन्तु मूल पत्रावली विचारणा न्यायालय की आदेशीमा
दिनांक 23.11.21 दोनों परस्पर विरोधाभासी है। अतः प्रा.
पत्र. धारा-5 पार्टीमा अधिनियम के अधार में
अस्वीकार का खारिज किया जाता है।
निष्कर्षतः अपील प्राप्त बाहर होने से जालि
की गती के निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो।
पत्रावली फेदल धुमा हो नम्बर से कम भी जाकर शामिल
करा है।

निर्णय लिखा जाकर दो इजलास बुलाया गया।

अति जिला कलक्टर
शाहपुरा